| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13 | Meghaaya . . . . . | 1 918 | 65 5 |
| 14 | Nagal: nd . . . . . | 1·386 | 83·6 |
| 15 | Orissa . . . . . | 6.384 | 41·0 |
| 16 | Punjab . . . . . | 1 230 | 24·4 |
| 17 | Rajasthan . . . . . | 19.934 | 58.2 |
| 18 | Sikkim . . . . . | 0 281 | 39.6 |
| 19 | Tamil Nadu. . . . . | 4 401 | 33.8 |
| 20 | Tripura . . . . . | 0 973 | 92.8 |
| 21 | Uttar Pradesh . . . . . | 8.061 | 27.3 |
| 22 | West Bengal . . . . . | 2.536 | 28.5 |
| 23 | U.Ts . . . . . | 3.604 | 30.r |
| | TOTAL . . . . . | 129.374 | 39.4 |

**ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु निधियों का आबंटन**

**1644. श्री महेश्वर सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायतों की सड़क निर्माण व अन्य विकास कार्यों हेतु मंत्रालय से सीधे धनराशि पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर आबंटित की जाती है ;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण करने में चट्टाने होने के कारण काफी कठिनाई आती है और क्या यह भी सच है कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चट्टानों को तोड़ने के लिये विस्फोटक सामग्री प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा कोई प्रावधान करेगी जिससे विभिन्न राज्यों में जिला स्तर पर पंचायतों द्वारा सड़क निर्माण में यथा आवश्यकता उपयोग हेतु विस्फोटक सामग्री खरीदने का प्रबंध किया जा सके ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच0 पटेल) :** (क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित क्षेत्रों की निधियां मुहैया करने के पश्चात प्रत्येक जिले को आबंटित निधियों का 80 से कम प्रत्येक ग्राम पंचायत भी जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण सड़कों सहित विकास कार्य करने हेय अनुसूचित जातियों/समितियों की जनसंख्या को 60% और कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति।जनजाति जनसंख्या सहित) को 40% तरजीह देते हुये ग्राम पंचायतों को वितरित नहीं किया जाता है ।

(ख) और (ग) जवाहर रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार योजना के अन्तर्गत कार्य लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू किये जाने हैं । गांवों के विकास की योजनाओं पर ग्राम पंचायतों की बैठकों में विस्तृत चर्चा की जानी होगी योजना के अन्तर्गत शुरू किये गये काय जिनमें ग्रामीण सड़कों का निर्माण शामिल

है, उपयुक्त तकनीकी मानदंडो को पूरा करेंगे और संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्धारित विनिर्देशन का पालन करेंगे । पंचायत समिति द्वारा तकनीकी रूप से मूल्यांकन किये जाने के पश्चात् परियोजनाओं को अनुमोदित करने के लिये ग्राम पंचायत सक्षम है । राज्य सरकार/जिलों/ग्राम पंचायतों को काफी छूट दी गई है ताकि क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुये काय शुरू किये जा सकें । राज्य सरकार/जिले सड़कों के निर्माण के लिये विशेष रूप से देश के पर्वतीय क्षेत्रों में, यदि आवश्यक हो तो विस्फोटको की व्यवस्था करने के लिये स्वतंत्र है ।

**Connecting the villages in Madhya Pradesh with All-Weather Roads**

1654. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the villages in Madhya Pradesh which are yet to be connected with all-weather roads;

(b) whether any time-bound programme exists for connecting villages with all-weather roads; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) 1705 villages in Madhya Pradesh are still to be connected by all weather roads at the end of 1994-95.

(b) and (c) Eighth Plan (1992-97) envisages linking of all villages with population of 1000 and above by all weather roads by the end of the Plan.

**Recommendations of the Shankar Lal Guru Committee**

1646. SHRI SOM PAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Rural Development has received the report prepared by Shri Shankar Lal Guru Committee.

(b) if so, what are the major recommendations of the Committee; and

(c) what is the view of Government on these recommendations and what is being done to implement those recommendations which have been accepted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) The Ministry of Rural Development (now Ministry of Rural Areas and Employment) had set up a "High Power Committee on Agricultural Marketing" in 1992 under the Chairmanship of Shri Shankar Lal Guru. The Ministry has since received the report of the Committee.

(b) A Statement is enclosed. (See Appendix 173, Annexure No. 33]

(c) Out of 81 recommendations, mentioned in the enclosed statement 17 recommendations (as mentioned at Serial Numbers 11, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 71, 73, 74, 76, 78 and 81 in the Statement) have since been accepted by the Government. The other recommendations are being examined in consultation with States/Union Territories and concerned Ministries/Departments of the Government of India. Out of the 17 recommendations accepted by the Government, 2 recommendations number 61 and 81 have been referred to State/Union Territories for implementation. The recommendtions number 11,73 and 74 have since been implemented. The implement recommendation number 56 and 57, a scheme for providing grants-in-aid for applied research in agricultural marketing has been started. Remaining 10 recommendations (Number 49, 51, 52, 55, 62, 63, 64, 71, 76, 78) have been referred to concerned Organisations for implementation.